न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियॉ आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्य : 232/2022

दर्ज तिथि : 01.12.2022

श्री गोपाललाल पिता घीसालाल जाति मेघवाल, आयु 38 वर्ष निवासी बडोली माधोसिंह, तहसील, निम्बाहेड़ा जिला–चित्तौड़गढ़।

................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा तहसील, निम्बाहेडा जिला–चित्तौड़गढ़

..............अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः–श्री रामचन्द्र धाकड
अप्रार्थीः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि0–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथि :– 12.06.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि ग्राम बडोली माधोसिंह, पटवार हल्का बडोली माधोसिंह की जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 493 मे दर्ज आराजी नम्बर 1505/1082 रकबा 0.20 हैक्टेयर प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। यह कि प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी नम्बर 1505/1082 रकबा 0.20 हैक्टेयर मूल आराजी नम्बर 1082 रकबा 0.40 हैक्टेयर के संयुक्त खाते के बंटवारे बने है। आराजी नम्बर 1082 रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं अन्य खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड थी जिसका आपसी सहमति से बंटवाडा करवाया गया और प्रार्थी के हिस्से अनुसार प्रार्थी के नाम आ.नं. 1505/1082 रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकार्ड हुई।

2. यह कि आपसी सहमति बंटवाडा में हिस्से अनुसार जमाबंदी में तो रकबा सही दर्ज किया गया किन्तु नक्शा ट्रेस में प्रार्थी एवं संयुक्त खाते के अन्य खातेदार का कब्जा अनुसार नक्शा तरमीम नहीं हो पाया और सहवन से प्रार्थी का नक्शा गलत तरमीम कर दिया गया। प्रार्थना पत्र के अन्त में खाता संख्या 493 में दर्ज आराजी नम्बर 1505/1082 के नक्शा ट्रेस में बंटवाडा बाद [illegible] का निवेदन किया गया।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] जारी किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर वकील प्रार्थी की बहस [illegible]। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र [illegible]कित बिन्दुओं को मात्र दोहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नक्शा मौका कब्जा अनुसार दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेडा

Scanned with OKEN Scanner

4. इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार, निम्बाहेडा की रिपोर्ट का प्रासंगिक विवरण निम्न प्रकार है :

तहसीलदार, निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार मूल आराजी नम्बर 1082 रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं अन्य खातेदारान के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड थी जिसका उन्होंने आपसी सहमति से बंटवाडा करवाया एवं उनके हस्ताक्षरित नक्शा अनुसार ही नक्शे में तरमीम की गई। उक्त आराजी के बंटवाडे पश्चात तीन आराजी नम्बर बने आराजी नं. 1505/1082 रकबा 0.20 हैक्टेयर, आ.नं. 1503/1082 रकबा 0.14 हैक्टेयर एवं आ.नं. 1504/1082 रकबा 0.06 हैक्टेयर। वर्तमान में उक्त तीनों आराजी का मौका निरीक्षण किये जाने पर वर्तमान में मौके पर काबिज अनुसार आ.नं. 1505/1082 व 1504/1082 के बीच की तरमीम की गई लाईन तिरछी नहीं होकर सीधी लाईन मे होकर उसी अनुसार मौके पर काबिज है और आ.नं. 1503/1082 की तरमीम सही अंकित है। वर्तमान में मौके पर काबिज अनुसार आ.नं. 1504/1082 रकबा 0.06 हैक्टेयर की तरमीम लाईन सीधी करने बाबत मौके पर प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारों को बुलाया गया लेकिन केलव वादी श्री गोपाललाल ही उपस्थित हुआ। लेकिन पूर्व के सह खातेदारान भेरूलाल, भंवरलाल, रंगलाल, शांतिबाई पिता रामबक्ष वगैरा के द्वारा पर्चा मौका पर हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया।

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.*

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

7. मैंने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट एवं नवीन प्रस्तावित नक्शे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारान द्वारा अपनी अ[illegible] आपसी सहमति द्वारा विभाजन करवाया गया था जिसमें नक्शा तरमीम सहमति से ग[illegible] होना बताया गया। अतः इस प्रकरण में रोटेशन/सेटलमेंट के दौरान कोई गल[illegible] नहीं हुई बल्कि आपसी सहमति विभाजन के दौरान नक्शा सहमति के [illegible] जबकि तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा संयुक्त खाते के विभाजन प्रस्ताव [illegible] अनुसार आराजियात की तरमीम की गई अतः यह प्रकरण अन्तर्गत धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत शुद्धि योग्य नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज करना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 में शुद्धि योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रार्थी उक्त बंटवारा दावे की अपील सक्षम न्यायालय में दायर कर राहत प्रदान कर सकता है।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 12.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

([illegible]डियों)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner